फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

S/Mo सुनील कालीरावणा बनाम कैलाश व

केस संख्या : 52/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	22/8/25	[illegible]ी आज दिनांक 22-8-25 [illegible] पेश हुई। दि[illegible] एड. बार एसो. जयपुर द्वारा का[illegible] जाने से पत्रावली [illegible]अनुसार दिनांक 4/9/25 को पेश हो।	
	4/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वे.के.उप। उभय पक्ष बहस करें अन्यथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 15/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	15/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वे.के.उप। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है फलस्वरूप दिनांक 16/5/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मुकदमा तक स्थाई किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 52/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 16.05.2025

सुनील कालीरावणा पुत्र सुरज्ञान कालीरावणा जाति जाट निवासी शेरावतपुरा जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र नाथूराम
2. गजराज सिंह पुत्र बोदूराम
3. छीतर पुत्र चौथू
4. जगदीश प्रसाद पुत्र बोदूराम
5. नाथूराम पुत्र दीपाराम
6. प्रभू पुत्र चौथू
7. मदन पुत्र ग्यारसा
8. मुरली पुत्र ग्यारसा

   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. रामनिवास तेतरवाल पुत्र भूराराम तेतरवाल जाति जाट निवासी संता बाबा की ढाणी सुन्दरियावास कालवाड जयपुर।
10. रामेश्वर पुत्र ग्यारसा
11. लालचंद पुत्र नाथूराम

    समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
12. संज्ञा देवी पत्नी गणेश नारायण शर्मा जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी गांव जोधपुरा टांकरदा तहसील चौमू जिला जयपुर।
13. सुशीला देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी पोखरसा का बास सिरसली तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
15. उप पॅजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम नांगललाडी पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 163 पुराना 154 के खसरा नं. 1112 रकबा 2.8400 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.8400 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1111/47332 निहित है तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज एंव अंकित चला आ रहा हैं। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा हैं। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतदपश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें हैं। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये प्रार्थी ने समय–समय पर अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो अप्रार्थीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें, परन्तु अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई हैं। हाल ही में प्रार्थी द्वारा भूमि के विभाजन के लिए अप्रार्थीगण से वार्तालाप की तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नही दिया, एवं भूमि के विभाजन हेतु इन्कार कर दिया, और अप्रार्थीगण वादअधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण, निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एंव विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12/5/2025 को प्रार्थी को विभाजन से साफ इन्कार कर दिया एवं बिना विभाजन ही गैर कानूनी व विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करके भूमि को अनुचित रूप से विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारु हैं। इस संबंध में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि पर मनमर्जी अनुसार वह निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हैं। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने, विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने एंव प्रार्थी को उसके भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि अप्रार्थीगण ने कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया हैं। चूँकि अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये प्रार्थी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी विधिक विभाजन की डिक्री वहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में उल्लेखित राजस्व ग्राम नांगललाडी पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 163 पुराना 154 के खसरा नम्बर 1112 रकबा 2.8400 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.8400 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में प्रार्थी के निहित हिस्सा को प्रार्थी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर प्रार्थी के हिस्से का राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि, प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में उल्लेखित राजस्व ग्राम नांगललाडी पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 163 पुराना 154 के खसरा नम्बर 1112 रकबा 2.8400 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.8400 हैक्टेयर की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाये बिना, तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लंगायत 6, 10 व 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बंद किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। यदि बेचान तथा अप्रार्थीगण यदि उक्त आराजी का बेचान, निर्माण एवं खुद बुर्द करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumlan Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 16.05.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:18 IST
Reason: SelfAttested